शिक्षा में कला और कला में शिक्षा

कला मानवीय क्रिया है, जिसे ध्यानपूर्वक चिन्तन करके स्पष्टतः व्यक्त किया जाता है। कला किसी भी रूप में मानव जीवन को आत्मविभोर करने में सक्षम होती है। कला मानव जीवन की परिपूर्णता का अनुभव कराती है। मानव कल्याण और सौहार्दपूर्ण वातावरण को सृजित करने में कला की आवश्यक भूमिका होती है।

शिक्षा मानव व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अमूल्य साधन है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। जनतांत्रिक (जनतांत्रिक) समाज में शिक्षा का पहला दायित्व यह है कि वह समाज में इस प्रकार की वैचारिक चेतना उत्पन्न करे जिससे समाज में जन की सत्ता, धनी-निर्धन, ऊँच-नीच, जेंडर, जाति और धार्मिकता के भेदभावों से ऊपर स्थापित हो सके। इसके लिए गहनतम चरित्र-निर्माण आवश्यक है। अर्थात कला के कृत्य को शिक्षा के उद्देश्यों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शिक्षा के अभाव में न तो देश के भावी नागरिक ही अच्छे बन पाते हैं और न ही मनुष्य आत्मकल्याण और राष्ट्रकल्याण की ओर उन्मुख हो सकता है।

शिक्षा और कला दोनों ही व्यक्ति में रचनात्मक और सृजनात्मक दृष्टिकोण का विकास करते हैं, जिससे वह द्रुतगति से परिवर्तित होने वाली समाज की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप समंजन कर पाने में समर्थ होता है। शिक्षा और कला के सम्बन्धों को दो रूपों में देखा जा सकता है- शिक्षा में कला और कला में शिक्षा।

शिक्षा में कला

कला मानव जीवन के उद्गम और विकास की अविरल कहानी का अभिव्यक्तिकरण है। सम्पूर्ण भूतकाल का अध्ययन और प्रतिवेदन है। भूतकाल के विषय में सजीवता की अनुभूति को जाग्रत करने में कला विशेष भूमिका निभाती है इसीलिए विद्यालयी पाठ्यक्रमों में कला का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यपुस्तकों में मात्र तथ्यों और सूचनाओं का ही संग्रह हो तो विषयवस्तु नीरस और उबाऊ लगने लगेगी। पाठ्यपुस्तकों को तथ्यों और सूचनाओं की पोथी बनाने के बजाय कला के माध्यम से संज्ञानात्मक समझ का विकास किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत विषय-वस्तु एक ओर तो विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं, तो दूसरी ओर उनमें जिज्ञासा जगाते हैं और आगे अध्ययन के द्वार खोलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ऐसे ही पाठों की वकालत करती है जिनमें गतिविधियाँ, चित्र, तस्वीरें, मानचित्रों, कार्टूनों का समावेश हो, ये सभी चीजें विषयवस्तु को रोचक तथा आनन्ददायक बना देते हैं।

बालक शैशवावस्था से ही चित्रों को देखकर वस्तुओं को पहचानता है। चित्रों के द्वारा अध्ययन कर विद्यार्थी वस्तु को सरलता तथा स्पष्टता से सीखने में सक्षम होते हैं। चित्रों द्वारा विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता, सौन्दर्यबोध व आलोचनात्मक समझ विकसित होती है। चित्र विभिन्न उद्दीपनों के माध्यम से अस्पष्ट और अमूर्त ऐतिहासिक तथ्यों को मूर्त एवं यथार्थ रूप में प्रस्तुत कर शीघ्र व स्थायी ज्ञानार्जन हेतु रोचक बनाते हैं।

कला अपने किसी भी रूप में मूल्य निर्माण के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, नाट्य आदि सभी कलाएँ बालक के मन की चेतन, अर्द्धचेतन तथा अचेतन तीनों स्थितियों को प्रभावित करती हैं। विभिन्न कालों तथा सभ्यताओं में कला ने नैतिक मूल्यों के संवाहक का कार्य किया है। कला सीधी उपदेशपरक न होकर बालकों को भीतर से बदलकर अधिक संवेदनशील, सरल, मानवीय एवं करुणामय मुक्त बनाने की सीख देती है।

शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य का तात्पर्य यह है कि व्यक्तियों के बीच में सहयोग एवं सामाजिक व सामुदायिक भावना का विकास किया जाए। कला व्यक्ति को सामाजिक जीवन से विलग नहीं होने देती। कला मनुष्य के प्रकृति के तीनों रूपों (कोमल, कठोर, भीषण) को सन्तुष्ट करता है। कला व्यक्ति में भक्ति-भाव, आराधना, अनुनय-विनय याचना, उल्लास-उमंग, मनोरंजन आदि सभी प्रकार के भाव भरती है। कला के माध्यम से शिक्षा इन्हीं मूल्यों को विद्यार्थियों में भरती है, उनमें सामाजिक मान्यताओं, परम्पराओं के साथ-2 नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करती है।

मानव जीवन में संवेग का होना एक प्राकृतिक क्रिया है। बालकों के उचित संवेगात्मक विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा संवेगों को सुधारने और उनके परिमार्जन का साधन है। समय, काल, परिस्थिति अथवा भाव, अभिव्यक्ति जैसे कई प्रकार के भाव तथा अनुभूति के तत्व कला में समाहित रहते हैं। एक अबोध बालक को लोरी सुनाकर शान्त चित्त सुलाया जा सकता है तो वे धीरे-2 उसके संवेग को संगत और नियोजित करता है।

शिक्षा में प्रेरणा का विशेष स्थान होता है। प्रेरणा वह आन्तरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया और परिणाम दोनों को प्रभावित करती है। किसी कार्य को करने से पहले कहीं न कहीं, कोई न कोई प्रेरणा मानव के मस्तिष्क में अवश्य जन्म लेती है। कला के विभिन्न माध्यमों से समाज सेवक एवं देशभक्तों के प्रसंग प्रस्तुत करके बालकों को समाजसेवा व राष्ट्र-हित के कार्यों के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है।

शिक्षा में कला के महत्व और योगदान को रेखांकित करते हुए शिक्षा के विभिन्न आयोगों ने पाठ्यक्रम में दो रूपों को सम्मिलित किए जाने का सुझाव दिया है- विषय के रूप में तथा पाठ्य-सहगामी क्रियाओं के रूप में। विश्व के प्रमुख शिक्षाविदों ने शिक्षा को रुचिकर प्रक्रिया बनाने पर बल दिया है, जिससे बालक शिक्षा की ओर आकर्षित हो, दूर न भागे। विद्यालय के वातावरण में, शिक्षण विधियों में तथा अन्य कार्यक्रमों में, आवश्यकतानुसार यथोचित रूप में चित्रकला संगीत, नाटक आदि का प्रयोग किया जाना श्रेयस्कर है।

कला में शिक्षा

यूरोप में 18वीं शताब्दी में सौन्दर्य शास्त्रियों ने कलात्मक कार्यों को तीन वर्गों में विभाजित किया।

I. सौन्दर्यात्मक लक्ष्य से सम्बन्धित कार्य- ललित कला।
II. नैतिक कार्य- आचरण कला।
III. उपयोगी कार्य- उदार कला।

इस वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि कलाओं से मानव कल्याणकारी शिक्षा की प्राप्ति होती है। कला, सत्यम्, शिवं, और सुन्दरम् की व्यवहारिक रूप प्रस्तुत कर व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर अग्रसर करता है। कला रस प्रधान होती है, रस दशा व्यक्ति को वैयक्तिक स्वार्थों से ऊपर उठाकर सामाजिक हितों की ओर ले जाती है। कला भावनाओं का परिष्कार कर उन्हें उदात्त बनाती है, और भावनाओं का उदात्तीकरण जन-कल्याण की सृष्टि करता है।

कला के अन्दर शिक्षा के निम्न प्रयोजन सन्निहित हैं—

I. कला शिक्षा
II. जीवन की शिक्षा
III. सेवा-शिक्षा
IV. अनुभूतियों की शिक्षा
V. आनन्द की शिक्षा
VI. मनोरंजन की शिक्षा
VII. सृजनात्मकता की शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1998) और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार –"कला शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए इसे सभी विषयों के साथ जोड़ना चाहिए। कला शिक्षा को माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। नृत्य, गायन, वादन, नाटक मंचन, कला प्रतियोगिताओं आदि का आयोजित आयोजन कर विद्यालय शिक्षा के अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में कला को सम्मिलित करने पर उसकी उपलब्धियों को संक्षेप में इस तरह रेखांकित किया जा सकता है—

1. विद्यार्थियों के समय के सदुपयोग और स्वस्थ मनोरंजन में सहायक।
2. निरन्तर अध्ययन की नीरसता और शारीरिक थकान दूर होती है।
3. बालकों के आत्मविश्वास में वृद्धि।
4. दिव्यांग बालकों के विकास में सहायक।
5. मन्दबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास, आत्मसन्तुष्टि, आत्मसम्मान तथा उत्साहवर्धक भावनाएँ जागृत होती हैं।
6. बालकों को सरलता से एकाग्रचित्त किया जा सकता है।
7. बालकों में अनुशासन की प्रवृत्ति का विकास होता है।
8. बालकों को भावाभिव्यक्ति का अवसर मिलता है।
9. समूह गान, वृन्दवाद्य तथा समूह नृत्य आदि बालकों में एकता एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है।

10. आधुनिक परिवेश में बढ़ रहे बालकों को आदर्श संस्कृति से अवगत व भिन्न होने का अवसर मिलता है।

— x —